



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)कुण्डा, प्रतापगढ़।

मूल वाद संख्या: 442/2022

चन्द्रमणि तिवारी बनाम दिवाकरनाथ तिवारी आदि

01.07.2022

वाद प्रस्तुत हुआ। सुना। मुंसरिम आख्या के अनुसार कैबियट दाखिल नहीं है। वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वादी, प्रतिवादीगण पर तामीला हेतु पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को वास्ते लिखित कथन एवं दिनांक 16.08.2022 को तनकीह पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कुण्डा, प्रतापगढ़।

प्रार्थनापत्र 7 ग 2

प्रार्थना पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० मय शपथपत्र 8 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा वादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सबूत 10 ग 1 से दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति आबादी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा निर्गत किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को दिनांक 16.07.2022 नियत करते हुए प्रार्थना पत्र 7 ग 2 के आपत्ति निस्तारण हेतु नोटिस निर्गत हो। पैरवी अन्दर तीन दिवस की जावे।

सिविल जज (जू०डि०),
कुण्डा, प्रतापगढ़।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 9 ग 2

प्रार्थना पत्र 9 ग 2 आदेश 26 नियम 9 जा०दी० कमीशन कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। सुना। अवलोकन किया। कमीशन हेतु आधार पर्याप्त है, स्वीकृत। कमीशन हेतु पैरवी अन्दर सप्ताह हो। पैरवी उपरान्त न्यायालय अमीन को परवाना जारी हो। उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सूचित कर मौके पर जाए तथा नियमानुसार कमीशन कार्य सम्पादित कर अपनी आख्या मय पैमाना, नक्शा एवं चौहद्दी नियत तिथि तक दाखिल करे।

सिविल जज (जू०डि०),
कुण्डा, प्रतापगढ़।